भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *143
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

नेट न्युट्रेलिटी

***143. श्री रितेश पाण्डेय:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में नेट न्युट्रेलिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) ट्राई द्वारा वर्ष 2020 में दूरसंचार विभाग को की गई सिफारिश के अनुसार बहु-हितधारी निकाय की स्थापना अभी तक न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) में नेट न्युट्रेलिटी की कोई तकनीकी संपरीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार ने अपने नेटवर्क में नेट न्युट्रेलिटी की निगरानी करने के लिए आवधिक रूप से निर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>नेट न्युट्रेलिटी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *143 के भाग (क) से (घ) के संबंध में सदन के पटल पर रखा जाने वाला विवरण</u>

(क) सरकार ने दिनांक 31 जुलाई, 2018 को नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के सिद्धांतों को शामिल करते हुए नेट न्युट्रेलिटी संबंधी निदेश जारी किए थे। तत्पश्चात, इस निदेश को लागू करने के लिए वर्ष 2018 और 2019 में संबंधित लाइसेंसेज में संशोधन किए गए थे।

(ख) दूरसंचार विभाग में 'ट्रैफिक प्रबंधन पद्धति (टीएमपी) और नेट न्युट्रेलिटी के लिए बहु-हितधारक निकाय' पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और **(**घ) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की तकनीकी संपरीक्षा लाइसेंस करार के अनुसार की जाती है और इसमें नेट न्युट्रेलिटी से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। संचालित संपरीक्षाओं की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

अनुबंध-I

तालिका 1: संचालित संपरीक्षाओं की संख्या

क्र.सं.	एलएसए का नाम	संचालित संपरीक्षाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22
2	असम	13
3	बिहार	25
4	दिल्ली	8
5	गुजरात	30
6	हिमाचल प्रदेश	3
7	हरियाणा	25
8	जम्मू एवं कश्मीर	9
9	कर्नाटक	26
10	केरल	6
11	मध्य प्रदेश	3
12	महाराष्ट्र	12
13	मुंबई	34
14	पूर्वोत्तर	6
15	ओडिशा	11
16	पंजाब	12
17	राजस्थान	6
18	तमिलनाडु	27
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	17
20	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	27
21	पश्चिम बंगाल	13
22	कोलकाता	
कुल योग		**335**

*****